कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

ज्ञाप क्र. 4057 /तक./22–23/ बिलासपुर, दिनांक 12/12/2022

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– बिलासपुर जिले के मरवाही एवं बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chief Engineer PWD NH Raipur, Chhattisgarh द्वारा Rehabilitation & Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under corridor Scheme on EPC Basis of Keonch to Ratanpur Section on NH-45(Ex.) in the State of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 28.811 पंजीयन बाबत्।
Registration No.- FP/CG/ROAD/126719/2021

संदर्भ :– **आपका पत्र क्र./तक./4726/बिलासपुर, दिनांक 12.12.2022.**

––00––

विययांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि पूर्व निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग रतनपुर–मझवानी–केंदा–केंवची में Rehabilitation & Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under corridor Scheme on EPC Basis of Keonchi to Ratanpur Section on NH-45(Ex.) का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदंडों के अनुरूप निर्माण कार्य के तहत् सड़क में विद्यमान कर्व (मोड़) को सीधा करने के दौरान कुछ स्थानों पर वनभूमि/राजस्व वनभूमि प्रभावित हो रही है, जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग की गयी है।

बिलासपुर वनमंडल के कार्यक्षेत्र अंतर्गत प्रभावित होने वाले वनभूमि/राजस्व वनभूमि का रकबा 18.245 हे. है। आपके द्वारा वांछित 02 बिंदुओं पर जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	जानकारी
01	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर की सूची में सम्मिलित सभी वन कक्षों एवं उनके रकबा को प्रस्ताव में शामिल क्यों नहीं किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।	पूर्व निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग रतनपुर–मझवानी–केंदा–केंवची केंवची से रतनपुर सेक्सन एन.एच.45 की कुल लंबाई का डी.जी.पी.एस. सर्वे किया गया है। जिसके आधार पर वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर द्वारा एरिया स्टेटमेंट रिपोर्ट प्रदाय किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदंडों के अनुरूप निर्माण कार्य के तहत् सड़क में विद्यमान कर्व्ह (मोड़) को सीधा करने के दौरान कुछ स्थानों पर वनभूमि/राजस्व वनभूमि प्रभावित हो रही है, केवल ऐसे वनभूमि/राजस्व वनभूमि के रकबा का ही वन प्रकरण प्रस्ताव के वनक्षेत्र विवरण में दर्शाया गया है। जिसका रकबा 18.245 हे. का ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग की गयी है।

Scanned with CamScanner

02	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर के स्टॉक मैप के कक्ष क. 2368 एवं कक्ष क. 2382 में सड़क कास नहीं हो रही है परंतु आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उक्त वन कक्षों को शामिल किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।	दिनांक 11.12.2022 को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा संयुक्त रूप से मौका सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि मौके स्थल पर कक्ष क. 2368 एवं 2382 में मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। लेकिन वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर के स्टॉक मैप में राष्ट्रीय राजमार्ग बाहर है। संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर के एरिया स्टेटमेंट रिपोर्ट के अस्वीकरण (Declaimer) में उल्लेख है कि **"Probable human error angel in digitization"** फलस्वरूप वनक्षेत्र के विवरण में शामिल कक्ष क. एवं रकबा सही है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

12/12/2022

कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
बिलासपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner